

Builders will have to tell carpet area

Hindustan, 14th April, 2011

बिल्डरों को बताना होगा कारपेट एरिया

नई दिल्ली | भाषा

रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष संगठन काफेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडई) ने अपने सभी सदस्यों के लिए प्रचार दस्तावेज और बिक्री करार में कारपेट एरिया (इस्तेमाल योग्य क्षेत्र) के उल्लेख को अनिवार्य कर दिया है।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से क्रेडई ने यह पहल की है। देशभर में क्रेडई के सदस्यों की संख्या 10,000 से अधिक है। क्रेडई ने कहा है कि अगले छह माह के दौरान उसके सभी सदस्य आचार संहिता पर दस्तखत करेंगे। आचार संहिता में कारपेट



एरिया, परियोजना में विलंब पर मुआवजे का प्रावधान तथा दोनों पक्षों के बीच करार की सभी बातों का सम्मान शामिल है।

क्रेडई के चेयरमैन प्रदीप जैन ने गुरुवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सदस्य आचार संहिता पर दस्तखत करें। आचार संहिता में हम अपने सदस्यों के लिए कारपेट एरिया के उल्लेख को

क्रेडई की पहल

- छह माह में सभी क्रेडई सदस्य आचार संहिता पर दस्तखत करेंगे
- पारदर्शिता और अनुशासन पर किसी तरह का समझौता नहीं : जैन

अनिवार्य करेंगे।' उत्तर भारत में डेवलपर्स आमतौर पर सुपर एरिया के आधार पर बिक्री करते हैं। इसमें साग निर्मित क्षेत्र शामिल होता और उसमें आम इस्तेमाल के क्षेत्र मसलन लिफ्ट और सीढ़ियों को भी शामिल किया जाता है। क्रेडई के अध्यक्ष ललित कुमार जैन ने कहा कि हम पारदर्शिता और अनुशासन को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।